प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी.....मण्डी.....व भू.अ. निरिक्षक......कोट......तहसील रायपुर

महोदयजी,

उगमा पि. मोहन रावल का निधन मियाद दर्ज है जिसे उत्पन्न कर सा० मण्डी किया जाना उचित है।

पटवारी 18-10-2021

18/10/21 ILR कोट

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी व जांच ILR अनुसार शुद्धि उचित है

18/10/21

तहसीलदार रायपुर.
जिला भीलवाड़ा

आदेश

जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर एवं राजस्व दोत्रानुसार ग्राम मण्डी के खाता 3 व 75 मे उगमा पुत्र मोहन रावल की स्वकिय निधन के बजाय सा. मण्डी दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाकर अमल किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested

18.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

उगमारावल पिता मोहनरावल निवासी मण्डी तहसील रायपुर

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं0 35 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
दिनांक– 18-10-2021	प्रार्थी उगमारावल पिता मोहनरावल निवासी मण्डी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम मियाला के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 में खाता संख्या 3 में किता 3 रकबा 0.88 है0 भूमि एवं खाता संख्या 75 में किता 1 रकबा 0.17 है0 भूमि में उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मियाला के नाम सहखातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मण्डी के बजाय उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मियाला अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मण्डी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मियाला के खाता संख्या 3, 75 में खातेदार उगामा पुत्र मोहनरावल सा. मियाला के बजाय उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मण्डी दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 3, 75 के खातेदार उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मियाला के बजाय उगमा पुत्र मोहनरावल सा. मण्डी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से [illegible] गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:14:01 IST Reason: SelfAttested 18.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	